पंचदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक 22.07.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स० श्री राम नरेश प्रसाद यादव, स०वि०स० श्री मोती लाल प्रसाद, स०वि०स०	"मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर पंचायत क्षेत्र के शहीद चौक स्थित उत्पाद विभाग की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है । ब्रिटिश काल से बिहार सरकार का निबंधन कार्यालय एवं उत्पाद विभाग का कार्यालय था । उक्त जमीन का पुराना खाता संख्या 381, खेसरा संख्या 186 तथा नया खाता संख्या 861 क, ख एवं ग है । रकबा-3 कट्ठा 18 धुर है । पुराना तथा नया सर्वे में उक्त जमीन उत्पाद विभाग के नाम से दर्ज है । बाद में निबंधन कार्यालय अन्यत्र चले जाने से यहाँ सिर्फ उत्पाद विभाग का कार्यालय एवं मालखाना रह गया । कुछ दिनों बाद उत्पाद विभाग मधुबनी चला गया परन्तु मालखाना का वजुद आज भी कायम है तथा दो एस्पेस्टस का जीर्ण-शीर्ण कमरा मौजूद है । उक्त जमीन के निबंधन पर विभागीय सचिव एवं आयुक्त, दरभंगा के द्वारा रोक लगाया गया है । आई०जी० रजिस्ट्रार, पटना द्वारा जिला निबंधन पदाधिकारी, मधुबनी को केवाला नहीं करने का आदेश दिया गया था परन्तु भू-माफिया द्वारा गलत ढंग से जमीन का निबंधन कराकर कब्जा किया जा रहा है । अत: उक्त जमीन को भू-माफियाओं से मुक्त कराने तथा गलत ढंग से निबंधन कराने वाले लोगों पर कार्रवाई करने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध

1	2	3	4
2.	डॉ० प्रमोद कुमार सिंह, स०वि०स०	"राष्ट्रीय उच्च पथ 98 पटना से प्रारंभ होकर औरंगाबाद में जाकर जी०टी० रोड में मिलता है । इस पथ के पर्यवेक्षण की जिम्मेवारी पूर्व में राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पटना पश्चिमी के जिम्मे था परंतु कुछ माह पूर्व राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-98 का मात्र 2.70 किलोमीटर ही राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पटना पश्चिमी के अंतर्गत रहने दिया गया है । इस तरह से जहां एक तरफ एक प्रमंडल के अंतर्गत मात्र 2.70 किलोमीटर मात्र सड़क है वहीं दूसरी तरफ उक्त राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-98 का पर्यवेक्षण भी समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है । अतएव राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-98 के पूरे भाग का पर्यवेक्षण राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पटना पश्चिमी को दिये जाने हेतु मैं सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ ।"	पथ निर्माण

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-25/14- 1088 / वि०स०, पटना, दिनांक-21 जुलाई, 2014 ई० ।

प्रतिः-बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग तथा पथ निर्माण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21.7.14

(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-25/14- 1088 / वि०स०, पटना, दिनांक-21 जुलाई, 2014 ई० ।

प्रतिः-अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

21.7.14

(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।